प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2022**

विषयः- केन्द्र पुरोनिधानित योजना पर ड्राप मोर क्राप-(माइक्रो इरीगेशन) कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 (5 वर्ष) तक अतिरिक्त राज्य सहायता (टाप-अप) एवं योजना कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं0-10/एम0आई0- 46/ कैबिनेट नोट/2022-23, दिनांक 12.4.2022 एवं शासनादेश संख्या-15/2017- 1843/58-2017-429/2017 दिनांक 12.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त के संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अपने पत्र सं0- F.No.17-2/2022-RFS-III. दिनांक 05.04.2022 द्वारा पर ड्राप मोर क्राप उपघटक को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन संविलीन किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्गत आपरेशनल गाइड लाइन-2021 में उत्तर प्रदेश को ''बी-श्रेणी'' में सूचीबद्ध करते हुए निर्धारित इकाई लागत में 15 प्रतिशत वृद्धि की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। निर्धारित इकाई लागत के अनुसार 01 हेक्टेयर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अलग-अलग फसल, दूरी एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार रू. 27,823 से रु. 1,46,626 तक व्यय होता है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा लघु सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 45 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान किया गया है तथा शेष 45 से 55 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी अंश के रूप में कृषकों द्वारा वहन करना होता है। इस सिंचाई पद्धति के अधिक लागतजन्य होने के कारण कृषकों में इसकी ग्राह्यता कम रही है। कृषकों में ग्राह्यता बढ़ाने एवं इस सिंचाई पद्धति के अंगीकरण में कृषकों के बोझ को कम करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में मा0 मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन से शासनादेश सं0-15/2017-1843/58- 2017-429/2017 दिनांक 12.07.2017 द्वारा सभी कृषकों को 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया, जो समान रूप से बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में 2017-18 से 2021-22 तक लागू रही। अधिक लागत जन्य ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर जल संचयन एवं गुणात्मक उत्पादन हेतु हाई वैल्यू सब्जियों एवं गन्ना फसल में अधिक उपयोगी है। साथ ही कम लागत जन्य पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर का उपयोग कृष्य फसलों, दलहनी, तिलहनी एवं पत्तेदार सब्जियों में अधिकाधिक उपयोग किया जाता है।

लाभार्थी कृषकों के व्यय भार को कम करने, जल संचयन एवं गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन के लिए योजनान्तर्गत अनुमन्य केन्द्रांश एवं अनिवार्य राज्यांश के साथ ही अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप) अनुमन्य किये जाने हेतु व्यवस्था निम्नवत् है:-

(1) **<u>योजना का नाम:</u>** ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रोइरीगेशन''।

(2) **<u>लाभार्थियों की संख्या:</u>** प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में अनुमानित 6 लाख हेक्टेयर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई अन्तर्गत क्षेत्रफल का आच्छादन कर लगभग 4.80 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जाना है।

(3) **<u>पात्रता:</u>**

(I) सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का स्रोत उपलब्ध हो।

(II) लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।

(III) व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पर अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये।

(vI) व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर के लिए उक्त अधिकतम क्षेत्रफल सीमा 2 हेक्टेयर की होगी, किन्तु इस कोटि के कृषकों को ड्रिप सिंचाई/मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर सम्मिलित कर अधिकतम् 5 हेक्टेयर का लाभ अनुमन्य होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(v) योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी भारत सरकार के आपरेशनल गाइड लाइन्स के अनुसार अनुमन्य होगा।

(vI) ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं।

(vII) एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात् ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

(4) **<u>फडिंग पैटर्न:</u>** भारत सरकार के पत्र सं. F.No. 17-13/2021-RFS-III दिनांक 08.10.2021 द्वारा 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन' कार्यक्रम की ऑपरेशनल गॉइड लाइन्स निर्गत की गयी है, जो प्रभावी है। योजनान्तर्गत ड्रिप सिंचाई के लैटरल्स स्पेसिंग के आधार पर 15 श्रेणी एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के 4 श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए संशोधित इकाई लागत के साथ योजना क्रियान्वित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। योजना के वित्त पोषण हेतु केन्द्रांशःराज्यांश का फण्डिंग पैटर्न 60:40 निर्धारित किया गया है।

3. भारत सरकार द्वारा 2017-18 से योजनान्तर्गत वृहद जल संसाधन की परियोजनाओं में वित्तीय संसाधनों की पूर्ति हेतु नाबार्ड में सृजित ''माइक्रोइरीगेशन फण्ड'' से त्रिपक्षीय एग्रीमेंट के आधार पर निर्धारित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर भी वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विगत वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश के लिये संसूचित केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यकतानुसार राज्यांश अनुदान टाप-अप सहित सम्मिलित कर आय-व्ययक प्राविधान की व्यवस्था जारी रही। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार धनराशि रू 63418.61 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है। आगामी वर्षों में वित्त विभाग की सहमति से यथाआवश्यक इस फण्ड का उपयोग अतिरिक्त टाप-अप के लिये किया जायेगा।

4. भारत सरकार के मार्ग निर्देश 2021 के अनुसार निर्धारित इकाई लागत पर केन्द्रांश एवं राज्यांश सम्मिलित कर लघु सीमांत कृषकों को कुल 55 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को कुल 45 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था निर्धारित है। इकाई लागत के सापेक्ष अनुदान के अतिरिक्त शेष 45 से 55 प्रतिशत धनराशि कृषकों को स्वयं वहन करने एवं अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश में कृषकों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई का अंगीकरण कठिन होता है।

5. वार्षिक कार्ययोजना की संरचना भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक केन्द्रांश लक्ष्य पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रांश एलोकेशन धनराशि रू0-240 करोड़ प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है, जिसे आधार मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक वर्षवार भौतिक लक्ष्य, योजना का आकार, केन्द्रांश, राज्यांश एवं अतिरिक्त राज्यांश का विवरण निम्नवत् रहेगाः-

वर्ष	प्रस्तावित कार्ययोजना की धनराशि (करोड़ में)				प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य	
	केन्द्रांश	अनिवार्य राज्यांश	अतिरिक्त राज्यांश (टाप-अप)	कुल योग	क्षेत्रफल आच्छादन (हे0)	लाभार्थी कृषक (संख्या)
2022-23	240	160	234.19	634.19	120000	96000
2023-24	240	160	234.19	634.19	120000	96000
2024-25	240	160	234.19	634.19	120000	96000
2025-26	240	160	234.19	634.19	120000	96000
2026-27	240	160	234.19	634.19	120000	96000
योग	1200	800	1170.95	3170.95	600000	480000

इस प्रकार इंगित केन्द्रांश एलोकेशन रू0-240 करोड़ प्रतिवर्ष के आधार पर आगामी 5 वर्षों में कुल 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादन के साथ लगभग 4.80 लाख कृषक लाभान्वित हो सकेंगे। जिस पर कुल धनराशि रू0-3170.95 करोड़ (केन्द्रांश रू0-1200 करोड़+राज्यांश रू0-800 करोड़+ अतिरिक्त राज्यांश रू0-1170.95 करोड़) अनुमानित है।

अतिरिक्त टाप-अप प्राप्त होने पर प्रदेश में योजना का वृहद अंगीकरण सम्भावित है और उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रांश परिव्यय में वृद्धि के फलस्वरूप आगामी वर्षों में और अधिक वृद्धि की जा सकेगी।

6. पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगशन में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष निम्न व्यवस्था प्राविधानित की जाती हैः-

I. ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत कृषकों को पूर्व की भांति यथावत् 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ करायी जाये जो इस अधिक लागतजन्य सिंचाई विधा के अंगीकरण में प्रेरक एवं सहायक होगा। इस प्रस्तावित कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को 35-35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

।।. कम लागतजन्य पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर से कृष्य फसलों, पत्तेदार सब्जियों, दलहन, तिलहन आदि में उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत कुल अनुदान प्रस्तावित है जो पूर्व की तुलना में 15 प्रतिशत कम है। इस प्रकार पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु सीमान्त एवं अन्य कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टाप-अप) के रूप में सम्मिलित होगा। अनुदान की यह व्यवस्था आगामी 05 वर्षों (2022-23 से 2026-27 तक) के लिए निम्नवत् होगी:-

वर्ष	आच्छादित क्षेत्र	कम्पोनेन्ट	लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (Top-up)	कुल राज्यांश	कुल अनुदान	लाभार्थी अंश	वस्तु एवं सेवा कर (GST)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए प्रस्तावित अनुदान	प्रदेश के समस्त जनपद	ड्रिप/ मिनी/ माइक्रो स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	33%	22%	35%	57%	90%	10%	भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित जी.एस.टी लाभार्थी कृषकों द्वारा वहन किया जायेगा।
			अन्य कृषक	27%	18%	35%	53%	80%	20%	
		पोर्टेबल एवं लार्ज वाल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	33%	22%	20%	42%	75%	25%	
			अन्य कृषक	27%	18%	20%	38%	65%	35%	

उक्त व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त राज्यांश अनुमन्य किये जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 60:40 के अनुसार लाभार्थी कृषक पर पड रहे व्यय भार 45-55 प्रतिशत से घटकर 10-35 प्रतिशत हो जायेगा, जिसके फलस्वरूप बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति कृषकों के मध्य अधिक ग्राह्य हो सकेगा।

7. **<u>पंजीकृत निर्माता फर्मों की दरों का निर्धारण:</u>**

भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाइन्स-2021 में विहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भारत सरकार की आपरेशनल गाइड लाइन्स-2021 के प्रस्तर-14 पर निहित व्यवस्था के अनुसार ड्रिप/स्प्रिंकलर के 110 निर्माता फर्मो का पंजीकरण, पंजीकरण तिथि से 5 वर्ष के लिये किया गया है और स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के विभिन्न उपघटकों की दरें पंजीकृत फर्मों द्वारा अलग-अलग दी जाती हैं। कृषक किसी भी निर्माता फर्म से आनलाइन पंजीयन कराते हुए पद्धति की स्थापना/आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होता है। स्वयं मूल्य प्रणाली के कारण कृषकों को निर्माता फर्म के चयन में भ्रम की स्थिति होती है, अधिक मूल्य की स्थिति में व्यय भार भी अधिक पड़ता है। प्रदेश में प्रमुखता से कार्य कर रही दस निर्माता फर्मों के घटकवार दरें वित्तीय वर्ष के आरम्भ में प्राप्त कर एक औसत दर निर्धारित किया जाय और उसी दर पर कार्य करने हेतु सहमति देने वाली निर्माता फर्मों को योजनान्तर्गत कार्य करने हेतु अधिकृत किया जायेगा।

8. योजना संचालन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश में किसी प्रकार के परिवर्तन/परिमार्जन की स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ही यथावश्यक संशोधन किया जायेगा। वित्तीय उपाशय निहित होने पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

9. **<u>डी.बी.टी. प्रक्रिया से अनुदान अन्तरण:</u>**

डी0बी0टी0 प्रक्रिया से अनुदान अंतरण की कार्यवाही योजना विषयक गाइडलाइन में निहित प्रावधानों तथा निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार की जायेगी:-

।. विभागीय वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्धांत पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

।।. योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और प्रमुखता से कार्य करने वाले 10 निर्माता फर्मो के औसत मूल्य के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म से आपूर्ति/स्थापना का कार्य लाभार्थी कृषक द्वारा स्वयं व्यय करने पर शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में अनुदान की राशि आधार सीडेड ऋण

http://shasanadesh.up.gov.in

खाते में अन्तरित की जायेगी। अनुमन्य कृषक अंश की धनराशि लाभार्थी द्वारा नकद अथवा ड्राफ्ट के रूप में संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/ डिस्ट्रीब्यूटर को किया जायेगा।

लाभार्थी कृषक द्वारा, ड्रिप/ स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना हेतु अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि अग्रिम रूप में निर्माता फर्म को निजी स्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0), संबंधित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/ डिस्ट्रब्यूटर को हस्तगत किया जायेगा।

।।।. लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति, जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, की संतोषजनक रिपोर्ट, जियो टैगिंग एवं निर्माता फर्म को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन पी.एफ.एम.एस./एन.ई.एफ.टी./ आर.टी.जी.एस. के माध्यम से डी.बी.टी. प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के आधार सीडेड बैंक खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के आधार सीडेड ऋण खाते में किया जायेगा।

lv. योजना में ऋण के संबंध में लाभार्थी कृषक तथा संबंधित द्वारा बैंक ऋण की औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-32/2022-1240(1)/58-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निजी सचिव, कृषि सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ0प्र0शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
14- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
16- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
17- समस्त संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द/मुख्य उद्यान विशेषज्ञ/सिस्ट्रस विशेषज्ञ,उ0प्र0।
18- समस्त उपनिदेशक, उद्यान उत्तर प्रदेश।
19- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in